रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244606
CG-DL-E-22032023-244606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1337] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945
No. 1337] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

सं. 62/2015–2020

विषयः निर्यात और आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 27 के तहत जैव–ईंधन की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 1390(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अधिसूचना संख्या 29/2015–20 दिनांक 28.08.2018 में संशोधन करती है।

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 27 के तहत क्र. सं. 115क, 115ख और 115ग के अंतर्गत जैव–ईंधन की संशोधित नीतिगत शर्तें इस प्रकार होंगीः

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
115क	2207 20 00	कि. ग्रा/ इकाई	एथिल एल्कोहल और अन्य स्पिरिट, डीनेचर्ड, किसी भी प्रबलता की।	प्रतिबंधित	केवल गैर ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है।	केवल गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति है। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से जैव ईंधन के निर्यात को

						बिना किसी प्रतिबंध के ईंधन के साथ–साथ गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए अनुमति है, जब केवल आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके इनका उत्पादन किया गया हो।
115ख	2717 20 00	कि. ग्रा/ इकाई	पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों (क्रूड के अलावा) से प्राप्त तेल और विनिर्मिति जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं, जिसमें भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल है, और ये तेल, अपशिष्ट तेलों को छोड़कर, बायोडीजल युक्त विनिर्मिति के मूल घटक है।	प्रतिबंधित	केवल गैर ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है।	केवल गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति है। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से जैव ईंधन के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के ईंधन के साथ–साथ गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए अनुमति है, जब केवल आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके इनका उत्पादन किया गया हो।
115ग	3826 00 00	कि. ग्रा/ इकाई	बायोडीजल और उनके मिश्रण जिनमें भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल है अथवा नहीं है।	प्रतिबंधित	केवल गैर ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात अनुमत है।	केवल गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति है। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से जैव ईंधन के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के ईंधन के साथ–साथ गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए अनुमति है, जब केवल आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके इनका उत्पादन किया गया हो।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u> :

अधिसूचना सं. 29/2015–20 दिनांक 28.08.2018 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से जैव ईंधन के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के ईंधन के साथ–साथ गैर–ईंधन उद्देश्यों के लिए अनुमति है, जब केवल आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके इनका उत्पादन किया गया हो।

[फा. सं. 01/91/180/21/एएम–18/ईसी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

No. 62/2015-2020

Subject : Amendments in Export Policy of Bio-fuels under Chapter 27 of Schedule 2 (Export Policy) ITC (HS) classification of Export and Import.

S.O. 1390(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends Notification No. 29/2015-20 dated 28.08.2018.

2. The revised policy conditions of Bio-Fuels under Sl. No. 115A, 115B and 115C under Chapter 27 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export Import Items will be as follows:

S.No.	Tariff Item HS Code	Unit	Item Description	Present Policy	Present Policy Condition	Revised Policy Condition
115A	220720 00	Kg/u	Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.	Restricted	Export is permitted under license only for non-fuel purposes.	Export is permitted under license only for non-fuel purposes. However, Export of Biofuel from Special Economic Zones (SEZ)/ Export Oriented Units (EoUs), are allowed for Fuel as well as Non-Fuel purposes without any restriction when produced using only imported feed stock.
115B	2710 20 00	Kg/u	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.	Restricted	Export is permitted under license only for non-fuel purposes	Export is permitted under license only for non-fuel purposes. However, Export of Biofuel from Special Economic Zones (SEZ)/ Export Oriented Units (EoUs), are allowed for Fuel as well as Non-Fuel purposes without any restrictions when produced using only imported feed stock.
115C	3826 00 00	Kg/u	Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals.	Restricted	Export is permitted under license only for non-fuel purposes	Export is permitted under license only for non-fuel purposes. However, Export of Biofuel from Special Economic Zones (SEZ)/ Export Oriented Units (EoUs), are allowed for Fuel as well as Non-Fuel purposes without any restriction when produced using only imported feed stock.

3. Effect of this Notification:

The Notification No. 29/2015-20 dated 28.08.2018 is amended to the extent that Export of Biofuel from Special Economic Zones (SEZ)/Export Oriented Units (EoUs), are allowed for Fuel as well as Non-Fuel purposes without any restriction when produced using only imported feed stock.

[F. No. 01/91/180/21/AM-18/EC]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA